आदेश | एनजीटी भोपाल ने जारी किया अंतिम आदेश

कलेक्टर बालाघाट हटाएं अतिक्रमण

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट शहर के शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमण और प्रदुषण से मुक्त करने के लिए कई वर्षों से चल रहे संघर्ष को एक नया आयाम मिला है जहाँ एनजीटी भोपाल ने बालाघाट नगर के नागरिक द्वारका नाथ चौधरी और प्रदीप परांजपे की ओर से देवी तालाब की बदहाली को लेकर एनजीटी भोपाल में प्रस्तुत याचिका में दिनांक 27/04/2026 को अंतिम सुनवाई करते हुए कलेक्टर बालाघाट मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट एवं संभागीय वन अधिकारी बालाघाट को देवी तालाब से अतिक्रमण हटाकर संरक्षित करने के लिए कठोर आदेश पारित किये है ।

क्या है अंतिम आदेश

(1) प्रतिवादियों / संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे वेटलैंड नियम, 2017 की धारा 4 का कड़ाई से पालन करें और उसे लागू करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंध क्षेत्रों के संबंध में उचित सीमांकन, बाड़बंदी, संकेत-पट्ट और चेतावनी-पट्ट उपयुक्त स्थानों पर लगाए जाएँ। (2) नगरपालिका परिषद, बालाघाट को निर्देश दिया जाता है कि वह देवी तालाब की सफाई, ठोस और प्लास्टिक कचरा डालने से रोकने तथा खरपतवारों को वैज्ञानिक तरीके से हटाने के लिए एक समय-सीमाबद्ध योजना के तहत तत्काल कार्रवाई करे।(3) नगरपालिका परिषद / संभागीय वन अधिकारी, बालाघाट को यह निर्देश दिया जाता है कि तालाब की परिधि के चारों ओर स्थानीय प्रजाति के पौधों का सघन रोपण किया जाए ताकि निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार के अतिक्रमण के कारण अथवा तेज़ हवाओं के चलते गिरने वाले पौधों/वृक्षों की क्षतिपूर्ति की जा सके। नगर परिषद, बालाघाट, इस स्थल के जीर्णोद्धार के लिए एक विस्तृत और समय-सीमा वाला कार्य-योजना तैयार करेगी, जिसकी जाँच और अनुमोदन 'जिला आर्द्रभूमि संरक्षण समिति, बालाघाट' द्वारा किया जाएगा; इस समिति की अध्यक्षता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट करेंगे। इसके अतिरिक्त, स्थानीय निकाय शहर में अमृत 2.0 और एसबीएम योजनाओं के तहत प्रस्तावित सीवरेज नेटवर्क कनेक्शनों की स्थापना तथा एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के निर्माण एवं संचालन में तेज़ी लाने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगे, इसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करेंगे, और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जल-निकाय में अनुपचारित जल का निकास न हो। (4) राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिया जाता है कि वह समय-समय पर यह निगरानी करे कि किसी भी जल-स्रोत में कोई भी अनुपचारित जल न छोड़ा जाए और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में नियमों के अनुसार आवश्यक कड़ी कार्रवाई की जाए। (5) इस मामले से संबंधित किसी भी विवादित या मुकदमे के अधीन संपत्ति के अधिकार, हक और हित या स्वामित्व का निर्धारण, जो सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, संबंधित न्यायालय के आदेशों द्वारा शासित होगा।

वेटलैंड एक्ट 2017 की 4 के अनुसार किसी भी वेटलैंड अर्थात तालाब झील को भरने की मंशा से उसमे डाला गया मिट्टी-मुरुम या ठोस अपशिष्ट का भरन अतिक्रमण की श्रेणी में आता है एवं किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर आद्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन को प्रतिषीद्ध किया जाएगा ।

अतिक्रमणकारियों ने बताया निजी भूमि

एनजीटी में अतिक्रमणकारियों के अधिवक्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर की जनहित याचिका क्रमांक 4434/2003 के आदेश के अनुसार देवी तालाब की भूमि निजी भूमि है और वह इस तालाब की भूमि के मालिक है और इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय जबलपुर एवं सिविल न्यायालय बालाघाट में याचिका विचाराधीन है इसलिए इस याचिका को ख़ारिज किया जावें किन्तु याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता धरमवीर शर्मा ने एनजीटी को बताया कि जनहित याचिका क्रमांक 4434/2003 एवं उसकी पुनर्विचार याचिका क्रमांक 2109/2008 में किसी को भूमि का मालिकाना हक नहीं दिया गया है जबकि शासकीय देवी तालाब की भूमि के कुल रकबे 16.14 एकड़ में से मात्र 3 डिसमिल भूमि निजी भूमि है शेष 16.11 एकड़ शासकीय भूमि है जो उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों की तत्कालीन तहसीलदार बालाघाट के द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारण निजी हक में दर्ज हुई है जिसे सुधारने के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर में जनहित याचिका दायर की गई है किन्तु एनजीटी के समक्ष यह याचिका देवी तालाब के पर्यावरणीय कारणों से दायर की गई है द्य

बालाघाट नगर के शासकीय देवी तालाब को अतिक्रमण मुक्त कर उसे उसके मूल स्वरूप में स्थापित किये जाने के लिए लगभग 3 दशकों से संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष में बालाघाट नगर के कुशल व्यवसायी स्व सुरेश कोचर का अमूल्य योगदान रहा है वही उनके साथ कंधे से कन्धा मिलाकर चलने वाले अधिवक्ता कलीम कुरैशी, पीएल पुछिया, राम मोटवानी, प्रदीप परांजपे, राजेश मरार, द्वारका नाथ चौधरी, जीतू बर्वे, वसंत पटेल, मिलिंद ठाकरे, नितिन हिरकने, निस्वार्थ कोचर, नितिन मिश्रा समेत नगर के अन्य गणमान्य नागरिकों का भी योगदान रहा है ।

पालन नहीं होने पर अवमानना की कार्यवाही

उक्त याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा नाथ चौधरी ने बताया कि एनजीटी भोपाल के द्वारा पूर्व में भी दिनांक 23/09/2025 एवं दिनांक 10/11/2025 को आदेश जारी किये गए थे किन्तु कलेक्टर बालाघाट एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट के द्वारा उन आदेशों का पालन नहीं किया गया किन्तु अब दिनांक 27/04/2026 को एनजीटी भोपाल के द्वारा अंतिम आदेश पारित कर कलेक्टर बालाघाट एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद बालाघाट को आदेशित किया गया है कि देवी तालाब से अतिक्रमण हटायें एवं प्रदुषण को समाप्त करे यदि इनके द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इनके विरुद्ध माननीय न्यायाधिकरण के आदेशों की अवमानना का प्रकरण पंजीबद्ध किया जावेगा।

13 उपार्जन केन्द्रों में हो रही गेहूं खरीदी

उपार्जन केन्द्रों में किसानों के लिए है पर्याप्त सुविधा

नवभारत, बालाघाट। जिले के 13 उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं 8 उपार्जन केन्द्रो में चना खरीदी का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। श्री मृणाल मीना कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक के मार्गदर्शन में 30 अप्रेल को राजेश उइके उपायुक्त सहकारिता बालाघाट द्वारा एच.सी. बोपचे शाखा पर्यवेक्षक एवं संस्था प्रबंधक लालबर्रा के साथ वृहता सेवा सहकारी समिति लालबर्रा शासकीय गोदाम में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि गोदाम स्तरीय गेहूँ उपार्जन केन्द्र में किसानों की सुविधा के लिए पीने का पानी, बैठने की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी में किसी प्रकार की परेशानी न हो इस हेतु जिले के 13 उपार्जन केन्द्रो में विभागों एवं शाखा के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है।

अभिनव सिंह बघेल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित बालाघाट ने जानकारी देते हुए बताया कि बालाघाट जिले के 13 उपार्जन केन्द्रो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति लामता उपार्जन केन्द्र लामता, सेवा सहकारी समिति पायली, उपार्जन केन्द्र पायली, सेवा सहकारी समिति बड़गाँव उपार्जन केन्द्र बड़गाँव, सेवा सहकारी समिति वारासिवनी, उपार्जन केन्द्र वारासिवनी, सेवा सहकारी समिति खैरलांजी उपार्जन केन्द्र किन्ही मंडी, वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति कटंगी उपार्जन केन्द्र नंदलेसरा, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बैहर उपार्जन केन्द्र बैहर, सेवा सहकारी समिति दमोह उपाज्रन केन्द्र दमोह तरूण वेयर हाउस, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति परसवाड़ा उपाज्रन केन्द्र परसवाड़ा सावित्री वेयर हाउस, सेवा सहकारी समिति चिखलाझोड़ी उपार्जन केन्द्र चिखलाझोड़ी छपरवाही, वृहत्ताकार सेवा सहकारी समिति लालबर्रा शासकीय गोदाम लालबर्रा, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बैहर उर्पाजन केन्द्र परसामाउ में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदी एवं कृषि उपज मंडी बालाघाट, वारासिवनी, खैरलांजी, लालबर्रा बकोड़ा, कटंगी, बैहर मोहगांव, परसवाड़ा, लालबर्रा कनकी में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी का कार्य किया जा रहा है। 30 अप्रेल की दोपहर तक 655 किसानों से 14694 क्विंटल गेहूँ की खरीदी की गई हैं। जिसका भुगतान कृषको के खातो में शासन के द्वारा किया जा रहा है।

उपार्जन केन्द्र की व्यवस्था से खुश है किसान

लालबर्रा शासकीय गोदाम में गेहूँ विक्रय के लिए पहुचे किसान दिलीप कुमार टेंभरे धरपीवाड़ा ने बताया कि 18 क्विंटल गेहूँ लेकर आया था। केन्द्र में कोई समस्या नही है किसानों के बैठने के लिए छाव है और पीने के पानी की व्यवस्था की गई है केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है। किसान ऐनलाल जामरे ने बताया कि उनके द्वारा 19 क्विंटल गेहूँ शासकीय गोदाम लालबर्रा में विक्रय के लिए लाया हूँ उपार्जन केन्द्र में की गई व्यवस्था से किसान खुश है। उपार्जन केन्द्र लालबर्रा के प्रभारी अतुल ठाकरे ने बताया कि शासकीय गोदाम लालबर्रा उपार्जन केन्द्र में 312 किसानों ने स्लॉट बुक कराई है जिसमें से 76 किसानों से 1346 क्विंटल गेहूँ की खरीदी की जा चुकी है तथा 1346 क्विंटल गेहूँ ऑन लाईन कर दी गई है।

मई के अंतिम सप्ताह में गर्रा रेलवे ओव्हर ब्रिज से यातायात प्रारंभ होने की संभावना

नवभारत, बालाघाट। बालाघाट-गर्रा रोड पर वैनगंगा नदी के पुल के पहले बन रहे रेलवे ओव्हरब्रिज का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है। इस ओव्हरब्रिज से मई माह के अंतिम सप्?ताह में यातायात प्रारंभ होने की संभावना है।

बालाघाट एसडीएम श्री गोपाल सोनी एवं सेतु निर्माण संभाग के एसडीओ श्री ओमप्रकाश सनोडिया ने गत दिवस रेल ओव्हरब्रिज के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओव्हरब्रिज के शेष कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश किये। निर्माण कार्य करा रहे ठेकेदार द्वारा बताया गया कि

ब्रिज का शेष कार्य 20 मई तक पूर्ण हो जाएगा और मई माह के अंतिम सप्ताह में ओव्हरब्रिज यातायात के लिए तैयार हो जाएगा। इस ओव्हरब्रिज से यातायात प्रारंभ हो जाने से बडे वाहनों को डेंजर रोड से घूम कर आना-जाना नही करना पडेगा और यातायात की सुगम सुविधा सुलभ हो जाएगी।

आज से शुरू होगा 'आरोह 2026' ग्रीष्मकालीन कराते प्रशिक्षण शिविर

बालाघाट। खेल एवं युवा कल्याण संचालनालय, भोपाल के निर्देशानुसार तथा जिला खेल अधिकारी श्री राहुल बारेसा के मार्गदर्शन में 1 मई से 30 मई 2026 तक 'आरोह' ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का उद्देश्य 19 वर्ष से कम आयु के बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व निर्माण, शारीरिक, मानसिक एवं सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देना है। जिला खेल कराते प्रशिक्षक सचिंद्र कृ?णन ने बताया कि जिले के मुलना स्टेडियम, जिला मुख्यालय के खेल मैदानों एवं विकासखंड मुख्यालयों में आयोजित इस शिविर में विभिन्न खेल गतिविधियों के साथ खिलाड़ियों को जीवन के महत्वपूर्ण आयामों से भी परिचित कराया जाएगा।

रेत का अवैध उत्खनन परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रालियां जप्त

नवभारत, बालाघाट। उप संचालक खनिज प्रशासन बालाघाट के निर्देशन में दिनांक 29/04/26 को खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल, शुभम बोपचे एवम् कोतवाली पुलिस बालाघाट द्वारा सयुक्त रूप से ग्राम कुम्हारी स्थित बैंनगंगा नदी में सुबह सुबह करीब 4 बजे के आसपास 2 ट्रैक्टर कि ट्रालीयों को रेत का अवैध उत्खनन करते हुए जप्त किया गया है। वाहन के चालकों द्वारा खनिज एवम् पुलिस अमले को अपनी ओर नजदीक आता हुए देख नदी में ही उक्त दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को छोड़कर ट्रैक्टर के इंजन को लेकर भाग गए। फिर अन्य दूसरे गांव से ट्रैक्टर के इंजन की मदद से उक्त दोनों ट्रॉलियों को कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा बालाघाट के परिसर में लाकर खड़ा किया गया है। उक्त दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कोई चेचिस नंबर या ट्रॉली नंबर अंकित नहीं है। मौके पर कार्यवाही के दौरान कोई भी व्यक्ति द्वारा उक्त दोनों ट्रॉलियों का मालिकाना हक नहीं जताया गया ऐसी स्थिति में उक्त दोनों ट्रॉलियों को लावारिस हालत में जप्त किया गया है। इस प्रकार उक्त दोनों ट्रैक्टर कि ट्रॉलियों पर नियमानुसार मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन भंडारण का निवारण) नियम 2022 के तहत अग्रिम कार्यवाही किया जायेगा।

खो-खो प्रतियोगिता का समापन, खिलाड़ियों ने दिखाई प्रतिभा

नवभारत, बैहर। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मलाजखंड में आयोजित 55वीं क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता का समापन अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। तीन दिनों तक चले इस खेल आयोजन में संभाग के विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर खेल भावना की मिसाल प्रस्तुत की।

समापन दिवस पर 14 वर्ष से कम आयु वर्ग तथा सत्रह वर्ष से कम आयु वर्ग के अंतिम मुकाबले अत्यंत रोमांचक रहे। खिलाड़ियों ने अपनी गति, कौशल और सूझबूझ का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। अंतिम मुकाबलों के पश्चात राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के चयन हेतु परीक्षण मुकाबले भी आयोजित किए गए, जिनमें चयन समिति ने प्रतिभागियों की क्षमता का गहन आकलन किया।

समापन समारोह में विद्यालय के प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार प्रसाद ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पदक और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता के परिणामों में चौदह वर्ष से कम आयु वर्ग में मेजबान पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मलांजखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि केंद्रीय विद्यालय उमरिया द्वितीय और केंद्रीय विद्यालय वेहिकल फेक?ट्री शिफ्ट 01 जबलपुर तृतीय स्थान पर रहे। वहीं सत्रह वर्ष से कम आयु वर्ग में केंद्रीय विद्यालय नवरोजाबाद ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मलांजखंड द्वितीय और व्हीकल फैक्ट्री शिफ्ट-1 जबलपुर तृतीय स्थान पर रहा।

प्राचार्य डॉ. संतोष कुमार प्रसाद ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट खेल भावना का परिचय दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि जीत और हार से बढ़कर खेल से मिलने वाली सीख और अनुशासन जीवन में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक वाई.के. भगत, शारीरिक शिक्षा शिक्षक तेजलाल तिवारी तथा समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही विभिन्न स्थानों से आए क्रीड़ा अधिकारियों, निर्णायकों और विशेषज्ञों ने प्रतियोगिता के सफल संचालन में अहम भूमिका निभाई।

कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य ने आयोजन समिति, सभी सहयोगी अधिकारियों, निर्णायक मंडल, दल प्रभारियों तथा खिलाड़ियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और नेतृत्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीन दिनों तक चला यह खेल आयोजन क्षेत्र में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने में सफल रहा।

गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने निकाली रैली

नवभारत, लामता। सोमवार को गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग को लेकर लामता क्षेत्र के ग्रामीणों एवं व्यापारियों ने एकजुट होकर तहसील कार्यालय में रैली निकालते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में बताया गया कि गौमाता भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रमुख प्रतीक है, इसलिए उसे राष्ट्रमाता का दर्जा देकर विशेष सम्मान एवं संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रामीणों और व्यापारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस मांग को समर्थन दिया।उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता और मान्यताओं के अनुसार गौमाता में सभी देवी-देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए उसे राष्ट्रमाता के रूप में सम्मानित किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि गौवंश केवल धार्मिक आस्था का विषय ही नहीं है, बल्कि कृषि, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार से मांग की गई कि गौमाता को राष्ट्र की धरोहर घोषित कर उसके संरक्षण एवं सम्मान के लिए ठोस नीति बनाई जाए तथा उसे राष्ट्रमाता का दर्जा देने की दिशा में आवश्यक निर्णय लिया जाए।

कार्यवाही | बस स्टैंड में लग रही स्क्रीन एलईडी का ढांचा निकालना पड़ा

पार्षद के आगे नत मस्तक हुआ नगर परिषद प्रशासन

कटंगी (बालाघाट)। बालाघाट जिले के कटंगी नगर परिषद अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में वारासिवनी की एक व्यक्ति द्वारा स्क्रीन एलइडी लगाने की तैयारी की जा रही थी जिसका ढांचा भी तैयार हो गया था इस बात की जानकारी पार्षद मनीष चौकसे वार्ड नंबर 11 को जब लगी तो उन्होंने विरोध शुरू किया और कहा कि नगर परिषद द्वारा आज के पास साल पहले इसी स्थान से गरीब लोगों को हटाया गया था बस स्टैंड को सुंदर बनाने के लिए फिर अचानक यह कैसे हो रहा है किसकी परमिशन से यहां एलईडी लग रही है वहीं नगर परिषद की बैठक में भी पार्षद मनीष द्वारा मुद्दा उठाया गया था और आज 1 मेंई श्रमिक दिवस के दिन से धरने पर बैठने की बात कही गई थी बोला गया था कि 30 अप्रैल को शाम 5:00 बजे तक अगर नहीं हटाया जाता तो आज से धरना होगा जिसकी तैयारी भी पार्षद द्वारा कर ली गई थी 30 अप्रैल को शाम 5:00 बजते ही नगर परिषद प्रशासन हड़बड़ा गया आखिर नगर परिषद को पार्षद के आगे झुकना पड़ा और नगर परिषद की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर स्क्रीन एलइडी का ढांचा निकाला गया और नगर परिषद में जप्त कर कर रखा गया है

परिषद में उठाया था मामला किसकी है परमीशन

कटंगी वार्ड नंबर 11 के पार्षद मनीष चौकसे द्वारा पिछले 10 दिनों पहले नगर परिषद की बैठक में यहां मामला उठाया गया था कि बीच बस स्टैंड में किसकी परमीशंस एलईडी लग रही है किसने परमिशन दी वहीं बैठक के दौरान प्रभारी अध्यक्ष को छोड़ सभी पार्षद पार्षद चौकसे के समर्थन में नजर आए वहीं पार्षद ने कहा कि बस स्टैंड में लगाने की अगर परमिशन दी थी तो हम पार्षदों को क्यों नहीं बताया गया अंधेरे में क्यों रखा गया

5 साल पहले हटाया गया था गरीबों को बस स्टैंड से

पार्षद चौकसे ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस स्थान पर नगर पालिका द्वारा एलइडी लगाने की परमिशन दी गई थी उसे स्थान से आज के पाच साल पहले बस स्टैंड को सुंदर बनाने के लिए गरीबों के चाय और पान की दुकान हटाई गई थी जिसके चलते उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनकी रोजी-रोटी छिन गई इस स्थान पर एलईडी की परमिशन मिलने से नगर के छोटे व्यापारियों ने भी निंदा व्यक्त की और पार्षद का समर्थन किया ।

आज से धरने पर बैठने वाले थे पार्षद चौकसे

कटंगी वार्ड नंबर 11 के पार्षद मनीष चौकसे ने बताया कि परिषद की बैठक में मेरे द्वारा मुद्दा उठाया गया था और पिछले 4 दिन पहले ही मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि 30 अप्रैल शाम 5:00 बजे तक अगर यहां ढांचा नहीं हटाया जाता तो आज से मैं धरने पर बैठूंगा जिसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई थी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, एसडीएम कटंगी, तहसीलदार कटंगी और थाना प्रभारी को भी लिखित रूप में जानकारी दे दी गई थी

पार्षद चौकसे ने कहा, धन्यवाद सीएमओ

आज से धरने पर बैठने की तैयारी थी उसके एक दिन पहले ही 30 अप्रैल की शाम होते ही प्रशासन अपनी हरकत पर आया पार्षद चौकसे की जिद के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधेश्याम चौधरी के आदेश पर नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा मौके पर जाकर ढांचा हटाया गया और जपती बनाई गई वहीं पार्षद चौकसे द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को धन्यवाद कहा गया है कि आपने मेरी बातों को उचित समझा और कार्रवाई की।

पेंशनरों ने जनवरी 26 से 2% डी आर मांगा

नवभारत, बालाघाट। भारत सरकार कार्मिक व लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग का परिपत्र क्रमांक 42/2/2024-पी एण्ड पीडब्ल्यू (डी) 9475 दिनांक-24 अप्रैल 2026 को संदर्भित कर मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव वित्त को पत्र लिखकर भारत सरकार के समान प्रदेश के पेंशनरों को 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई राहत देने की मांग की है । पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक श्री आर के लटारे एवं श्री आर एस बैस ने कहा कि सरकार को ज्ञात होना चाहिए कि भारत सरकार के अनुरूप प्रदेश के पेंशनरों को महंगाई राहत देने की व्यवस्था संवैधानिक रूप से समर्थित है और यह सरकारी नीति का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुख्ता किया है आप ने बताया कि भारत सरकार के पेंशनरों के विपरीत प्रदेश के पेंशनरों को 1 जुलाई 19 से लगातार महंगाई राहत की दर एवं अवधि में कटौती/ अंतर किया जा रहा है, जो मूलभूत अधिकार

(अनुच्छेद 14) समानता के अधिकार का उल्लंघन है ।महंगाई राहत को पेंशन भोगी के जीवन और जीविका के अधिकार से जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षित है ।कोर्ट के अनुसार महंगाई कर्मचारी एवं पेंशनर दोनों को समान रूप से प्रभावित करती है, इसलिए पेंशन भोगियों की अवधि एवं दर में कटौती करना मनमाना और असंवैधानिक है ।

जिले के अध्यक्ष अशोक चौबे एवं सचिव किशोर जुझार ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा (चंडीगढ़) केरल, महाराष्ट्र (मुंबई) द्वारा अपने निर्णय में डी आर को संवैधानिक बताते हुए केंद्रीय तिथि से भुगतान के आदेश पारित किए हैं साथ ही डी आर की दर एवं अवधि में मनमानी अंतर/कटौती करना अनुच्छेद 14 का स्पष्ट उल्लंघन है ।

संगठन के उपाध्यक्ष रामरतन नन्हेट,दीपक मातरे, कोषाध्यक्ष रेवा प्रसाद जतेरे, संदीप चौरसिया,श्रीमती रेखा पंड्या एवं श्रीमती सुशीला शिवाले ने कहा कि केंद्रीय पेंशनर एवं राज्य के पेंशनर में अंतर करना असंवैधानिक है, क्योंकि दोनों पर महंगाई का प्रभाव समान रूप से पड़ता है ।